"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 जुलाई 2012—आषाढ़ 25, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 2012 (आषाढ़ 25, 1934)

क्रमांक-9856/वि. स./विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012), जो दिनांक 16 जुलाई, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन. 2. (एक) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 में, उप-धारा (35-क) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(35-ख) "सामाजिक अंकेक्षण" से अभिप्रेत है, ऐसे नगरपालिक क्षेत्र जहां ऐसा पुनर्विलोकन संचालित किया जाना है, के भीतर निवास कर रहे व्यक्तियों के किसी समूह या समूहों द्वारा, किसी नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत की गई या कार्यान्वित की गई नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं या प्रक्रियाओं के प्रभाव का पुनर्विलोकन;"

(दो) धारा 3 की उप-धारा (37) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(37-क) "उपभोक्ता प्रभार" से अभिप्रेत है, धारा 127-बी के अधीन परिषद् या नगर पंचायत जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा प्रदत्त या प्रदाय किये जाने के लिये प्रस्तावित सेवाओं के लिए अधिरोपित प्रभार;"

धारा 41 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क-1) यदि यह पाया जाए कि वह उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है, जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था; या"

धारा 41-क का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 41-क की उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं, अर्थात् :—

"या यदि यह पाया जाए कि वह उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था."

धारा 55 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (1) में शब्द "निर्वाचन के" के पश्चात् शब्द "आगामी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के" जोड़ा जाए.

धारा 56 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 56 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"56. **सम्मिलन का संयोजन.—**

(1) परिषद् या नगर पंचायत का सम्मिलन, यथास्थिति, या तो साधारण होगा या विशेष.

(2) धारा 43, 43-क, 47, 55 या 71 में निर्दिष्ट सम्मिलन के सिवाय प्रत्येक सम्मिलन की तारीख, अध्यक्ष द्वारा या उसके कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में, उपाध्यक्ष द्वारा नियत की जाएगी:

परंतु यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के द्वारा सम्मिलन की तारीख नियत नहीं की जाती हो, तो कलेक्टर, राज्य सरकार को सूचना के अधीन सम्मिलन की तारीख नियत करेगा.

(3) कार्यसूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तथा सम्मिलन के संचालन की रीति ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए."

7. मूल अधिनियम की धारा 69 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 69-क का अंतः स्थापन.

"69-क. धारा 69 के अधीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी के स्पष्टीकरण और/या अभिकथन को बैठक की कार्यवाही विवरण में अभिलिखित किया जाएगा."

8. मूल अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (5) में शब्द "आधे" के स्थान पर "दो तिहाई" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 86 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 121-ख के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा 121-ग का अंतः स्थापन.

"121-ग. **सामाजिक अंकेक्षण.**— इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् या नगर पंचायत, यथास्थिति, ऐसी रीति में सामाजिक अंकेक्षण करवाने की व्यवस्था करेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए."

10. (एक) मूल अधिनियम की धारा 126 की उप-धारा (1) में शब्द "कुर्सी क्षेत्र (कारपेट एरिया)" के स्थान पर शब्द "निर्मित क्षेत्र (बिल्टअप एरिया)" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 126 का संशोधन.

(दो) धारा 126 की उप-धारा (1-क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1-क) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (1) के अधीन प्रारूप संकल्प प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर या इसके पूर्व तैयार करेगा तथा प्रस्तुत करेगा एवं उस दशा में जबकि परिषद् या नगर पंचायत, यथास्थिति, संकल्प को उस वित्तीय वर्ष के फरवरी के अंतिम दिन तक अंगीकृत करने में विफल रहता है, तो संकल्प अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जायेगा तथा इसे परिषद् या नगर पंचायत जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अंतिम रूप से अंगीकृत किया गया संकल्प समझा जाएगा :

परंतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा तैयार किया गया प्रारूप संकल्प चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक यदि अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा तैयार किये गये अनुसार प्रारूप संकल्प परिषद् या नगर पंचायत जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अंतिम रूप से अंगीकृत किया गया संकल्प समझा जाएगा."

(तीन) धारा 126 की उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(2-क) यदि ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व था कि वह 31 मार्च के पूर्व स्व-निर्धारण पत्रक प्रस्तुत करे, के द्वारा यह पत्रक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उस पर चूक हेतु एक हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जायेगी."

(चार) धारा 126 की उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(3) उप-धारा (2) के अंतर्गत किये गये निर्धारण में निम्न स्तर पर यदि दस प्रतिशत तक का अंतर आता है, परंतु कर देय होने की तिथि तथा अन्तर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अन्तर) के प्रत्येक माह के लिये दो प्रतिशत की दर से अधिभार के साथ निर्धारिति निर्धारण आदेश के दो सप्ताह के भीतर कमी की राशि जमा करे तो शास्ति के प्रयोजन पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तथा ऐसे मामलों में जहां अंतर दस

प्रतिशत से अधिक हो, तो भूमि और/या भवन का स्वामी, यथास्थिति, कर देय होने की तिथि तथा अन्तर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अन्तर) के लिये प्रति माह दो प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त उसके द्वारा किये गये स्व-निर्धारण तथा परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर के पांच गुने के बराबर शास्ति भुगतान करने का दायी होगा."

(पांच) धारा 126 की उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(4) उप-धारा (3) के अधीन पारित किये गये आदेश के विरुद्ध अपील, प्रेसिडेन्ट-इन-काउंसिल में होगी:

परंतु इस उप-धारा के अंतर्गत कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार मांगी गई राशि के सविरोध भुगतान करने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो."

धारा 127-ए का संशोधन. 11. (एक) मूल अधिनियम की धारा 127-ऐ की उप-धारा (1) में, चिन्ह ". " (पूर्ण विराम) के स्थान पर चिन्ह ": " (कोलन) प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) धारा 127-ए की उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु यदि परिषद् या नगर पंचायत, यथास्थिति 31 मार्च तक संपत्ति कर अवधारित करने में विफल रहती है, तो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान यथा प्रचलित दर, चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी दर समझी जायेगी."

(तीन) धारा 127-ए की उप-धारा (2) के खण्ड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(बी) कवेलू छत वाले समस्त कच्चे मकान जिनका क्षेत्रफल पांच सौ वर्ग फुट से अधिक न हो तथा ऐसे समस्त भवन और भूमि जो शहरी गरीब वर्गों का हो या जिन पर उनका निवास हो, जिसे शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से छूट दी जायेगी;"

(चार) धारा 127-ए की उप-धारा (2) के खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(सी) भारत सरकार, राज्य शासन, परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के शैक्षणिक संस्थाओं, पंजीकृत धर्मार्थ न्यास, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अंतर्गत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थाओं को सम्पूर्ण छूट प्राप्त होगी तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा यथानिर्धारित संपत्तिकर के पचास प्रतिशत तक की छूट ऐसे मानदण्ड के अनुसार दी जा सकेगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए."

(पांच) धारा 127-ए की उप-धारा (2) के खण्ड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(एफ) विधवा या नाबालिग अथवा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अधीन यथा परिभाषित शारीरिक या मानसिक नि:शक्ता से ग्रसित व्यक्तियों के स्वामित्व वाली भूमि और भवन को, विहित किये गये सीमा तक."

(छ:) धारा 127-ए की उप-धारा (2) के खण्ड (एच) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(एच) नेत्रहीन व्यक्ति तथा परित्यक्त महिलाओं के स्वामित्व वाली भूमि और भवन को, विहित किये गये सीमा तक."

(सात) धारा 127-ए की उप-धारा (2) के खण्ड (जे) का लोप किया जाए.

(आठ) धारा 127-ए की उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(3) इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् या नगर पंचायत, यथास्थिति, संपत्ति कर में ऐसी छूट प्रदान करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए."

12. मूल अधिनियम की धारा 127-ए के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :— **धारा 127-बी का अंत:स्थापन.**

"127-बी. उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण.—

(1) धारा 127 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, किसी साधारण अथवा विशेष आदेश जो कि राज्य सरकार इस संबंध में जारी करे, के अध्यधीन रहते हुए, उप-धारा (2) में उल्लिखित सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार निम्नलिखित दशाओं में उद्ग्रहित कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) जब वह सेवा वितरण में सुधार के लिये कोई नई प्रणाली या परियोजना प्रारंभ करे;

(ख) जब सेवा स्तर के आधार पर किसी सेवा का सुधार करे.

(2) उप-धारा (1) के अधीन उपभोक्ता प्रभार निम्नलिखित एक या एक से अधिक सेवाओं के लिये पृथक से उद्ग्रहित किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) जलापूर्ति;

(ख) जल निकास अथवा मलवहन निपटान और/या प्रसंस्करण;

(ग) घर द्वार के कूड़े (ठोस अपशिष्ट) का संग्रहण और/या नगरपालिक कूड़े का वैज्ञानिक प्रणाली से निपटान;

(घ) परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य कोई नई सेवा.

(3) उपभोक्ता प्रभार, नगर पालिक क्षेत्र पर या परिषद् या नगर पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये शहर के किसी विशिष्ट क्षेत्र या उसके किसी भाग पर, जहां उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सेवा प्रदान की जाती हो, उद्ग्रहित किया जा सकेगा."

13. मूल अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (4) में शब्द "खंड (एक)" के स्थान पर शब्द "खंड (क)" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 129 का संशोधन.**

14. मूल अधिनियम की धारा 187-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :— **धारा 187-क का संशोधन.**

"187-क. अनुज्ञा के बिना भवनों के सन्निर्माण के अपराधों का शमन.—

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या बनाई गई उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के प्रतिकूल, भवनों का सन्निर्माण करने के अपराध का शमन किया जा सकेगा, यदि—

(क) ऐसा सन्निर्माण नियमित भवन पंक्ति को प्रभावित नहीं करता है;

(ख) खुले पार्श्व स्थानों में या विहित फर्श क्षेत्र के अनुपात से अधिक किया गया अप्राधिकृत सन्निर्माण, विहित फर्श क्षेत्र अनुपात से दस प्रतिशत से अधिक न हो;

(ग) ऐसा सन्निर्माण राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय स्थल के रूप में या पर्यटन महत्व के स्थल के रूप में या पारिस्थितिकी के बिन्दु से संवेदनशील रूप में अधिसूचित क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(घ) ऐसा सन्निर्माण वाहनों की पार्किंग करने के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(ङ) ऐसा सन्निर्माण सड़क की सीमाओं के भीतर या सार्वजनिक सड़क के संरेखण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(च) ऐसा सन्निर्माण टैंक्स (*तालाबों*) के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(छ) ऐसा सन्निर्माण नदी किनारे से तीस मीटर के भीतर या नदी किनारे से ऐसी अतिरिक्त दूरी के भीतर नहीं आता है, जो कि मास्टर प्लान क्षेत्र में विनिर्दिष्ट की जाए;

(ज) ऐसा सन्निर्माण किसी नाले और जल धारा के क्षेत्र के भीतर नहीं आता है.

परन्तु प्रकरणों का शमन करने में अप्राधिकृत सन्निर्माण के क्षेत्र के संबंध में संबद्ध क्षेत्र के लिए शुल्क कलेक्टर मुद्रांक द्वारा अवधारित भूमि के विक्रय की प्रचलित दर के आधार पर निम्नानुसार प्रभारित किया जाएगा :—

(क) यदि सन्निर्माण, एक सौ वर्ग मीटर के भूखण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का दस प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का पन्द्रह प्रतिशत;

(ख) यदि सन्निर्माण एक सौ वर्ग मीटर से अधिक किन्तु दो सौ वर्ग मीटर से अनधिक के भू-खण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का बीस प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का तीस प्रतिशत;

(ग) यदि सन्निर्माण दो सौ वर्ग मीटर से अधिक किन्तु तीन सौ पचास वर्ग मीटर से अनधिक के भू-खण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का तीस प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का पैंतालीस प्रतिशत;

(घ) यदि सन्निर्माण तीन सौ पचास वर्ग मीटर से अधिक के भू-खण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का पचास प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का पचहत्तर प्रतिशत;

परंतु यह और कि आवासीय सन्निर्माण की दशा में शमन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा और गैर आवासीय सन्निर्माण की दशा में प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल की अनुज्ञा से किया जाएगा:

परंतु यह और भी कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसका उस भवन या भूमि पर कोई अधिकार नहीं है जिस पर ऐसा सन्निर्माण किया गया है.

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत शमन शुल्क, केवल अप्राधिकृत सन्निर्माण पर लगेगा, न कि संपूर्ण भवन पर."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगरपालिकायें, नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली शासी संस्थायें हैं. नगरपालिकाओं के सुशासन तथा कार्यदक्षता को बेहतर बनाने के लिये सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई है. सुधार के लिये छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) के प्रावधानों में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया है, यह नगरपालिकाओं के पार्षद, अध्यक्ष और समितियों के अध्यक्ष, तथा कारोबार के संचालन से संबंधित है. नगरपालिका की पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ नगरपालिकाओं द्वारा योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान आवश्यक प्रतीत होता है. राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण नीति के अधीन बेहतर नगरपालिक सेवाओं की मांग करने नागरिकों के सशक्तिकरण के साथ-साथ नगरपालिका को स्व-पोषित बनाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों में कुछ संशोधन किया जाये. इस अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अधीन विभिन्न विषयों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा उसे एक धारा में लाने के लिये व्यापक जनहित में ऐसा किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है इसकी प्राप्ति हेतु छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) में कुछ संशोधन आवश्यक है तथा उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित बिल आशयित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 30 मार्च, 2012

अमर अग्रवाल
नगरीय प्रशासन मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की जिन धाराओं में संशोधन किया जाना है उनके सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा (3) **परिभाषाएं**

उपधारा (35-क) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 243-ट के अधीन गठित राज्य निर्वाचन;

उपधारा (37) "कर" के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय या उद्ग्रहीत किया गया कोई भी पथकर, स्थानीय कर (रेट), उपकर, फीस या अन्य आयात कर आता है;

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 41
उपधारा (1)

पार्षद का हटाया जाना

(क) यदि उसका पार्षद के रूप में बना रहना, कलेक्टर की राय में लोकहित या परिषद् के हित की दृष्टि से वांछनीय न हो; या

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 41-क
उपधारा (1)

अध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष का हटाया जाना

राज्य सरकार अध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष को किसी भी समय हटा सकेगी, यदि राज्य सरकार की राय में उसका इस प्रकार बना रहना लोकहित में या परिषद् के हित में वांछनीय नहीं है या यदि यह पाया जाए कि वह अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में अक्षम है या वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विपरीत कार्य कर रहा है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 55
उपधारा (1)

साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से, प्रत्येक साधारण निर्वाचन के एक मास के भीतर, एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का एक सम्मिलन बुलायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 56

56. **सम्मिलन का संयोजन.—**

(1) परिषद् का सम्मिलन या तो मामूली होगा या विशेष.

(2) धारा 43, 43-क, 47, 55 या 71 में निर्दिष्ट में किये गये सम्मिलन के सिवाय, प्रत्येक सम्मिलन की तारीख अध्यक्ष द्वारा या उसके कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में, उपाध्यक्ष द्वारा और उसके संबंध में इसी प्रकार की दशा में होने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नियत की जाएगी.

(3) प्रत्येक सम्मिलन की सूचना जिसमें उसका समय तथा स्थान और उसमें संपादित किये जाने वाला काम-काज विनिर्दिष्ट किया जायेगा मामूली सम्मिलन के पूरे सात दिन पूर्व तथा विशेष सम्मिलन के पूरे तीन दिन पूर्व प्रत्येक पार्षद को भेजी जायेगी और नगर पालिका कार्यालय पर प्रदर्शित की जायेगी.

(4) सम्मिलन में उस काम-काज से, जो उससे संबंधित सूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है, भिन्न कोई भी काम-काज संपादित नहीं किया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 69

मुख्य नगरपालिका अधिकारी की उपस्थिति

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, परिषद् के प्रत्येक सम्मेलन में उपस्थित रहेगा और ऐसे सम्मिलन में चर्चाधीन किसी भी विषय को स्पष्ट कर सकेगा या उसके संबंध में व्यक्तव्य दे सकेगा, किन्तु मत देने का हकदार नहीं होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 86
उपधारा (5)

राज्य नगरपालिका सेवा का गठन

यदि परिषद् इस प्रयोजन के लिए संयोजित किये गये विशेष सम्मिलन में तत्समय परिषद् का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों के आधे से अधिक बहुमत से एक ऐसा संकल्प पारित कर दे जिसमें राज्य नगरपालिका सेवा के किसी सदस्य का स्थानांतरण किये जाने की अपेक्षा की गई है, तो राज्य सरकार ऐसे सदस्य का स्थानांतरण कर सकेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 121-ख **आंतरिक संपरीक्षण**

राज्य सरकार अथवा परिषद्, के दैनंदिन लेखा के आंतरिक संपरीक्षण हेतु उपबंध कर सकेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 126 **भूमि या भवन का वार्षिक भाड़ा मूल्य**

उपधारा (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भूमि या भवन का, चाहे उससे आमदनी होती है या नहीं भाड़ा मूल्य कुर्सी क्षेत्र (कॉरपेट एरिया) के प्रतिवर्ग फुट उस क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा भवन या भूमि स्थित है, उसकी अवस्थिति, स्थिति, वह प्रयोजन जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, उसका लाभप्रद उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए, उसकी (भवन/भूमि की) क्षमता, भवन के सुनिर्माण की गुणवत्ता तथा अन्य सुसंगत तथ्यों पर विचार करते हुए और ऐसे अन्य नियमों के, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बनाये जाए अध्यधीन रहते हुए इस निमित्त अंगीकृत किये गये परिषद् के संकल्प के अनुसार अवधारित किया जायेगा.

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी आगामी वित्तीय वर्ष हेतु एक प्रारूप संकल्प तैयार करेगा एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर के पूर्व परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगा. अगर परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अधीन तैयार उपरोक्त संकल्प पारित करने में विफल रहती हैं, तब मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अध्यक्ष के सम्मुख प्रारूप संकल्प प्रस्तुत करेगा एवं अध्यक्ष द्वारा पारित संकल्प यथास्थिति, परिषद द्वारा संकल्प माना जाएगा:

परंतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल के पूर्व पारित नहीं किया जाता, जब मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रारूप प्रस्ताव ही परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव माना जावेगा:

उपधारा (2) (2) उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा अंगीकृत किये गये संकल्प के आधार पर, भूमि या भवन का प्रत्येक स्वामी, अपनी भूमि या भवन का वार्षिक भाड़ा मूल्य निर्धारित करेगा. तथा इस निमित विहित प्रारूप में विवरणी के साथ सम्पत्ति कर की रकम, परिषद् द्वारा नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व जमा करेगा जिसमें असफल रहने पर, ऐसी दर अधिभार, जैसा कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाये, प्रभारित किया जायेगा.

उपधारा (3) उपधारा (2) के अधीन किये गये कर निर्धारण में दस प्रतिशत तक के फेरफार को ध्यान में नहीं लिया जायेगा. उस दशा में जहां फेरफार दस प्रतिशत से अधिक हो, वहां यथास्थिति, भूमि या भवन का स्वामी, उसके स्वयं के द्वारा किये गये निर्धारण और परिषद् द्वारा किये गये निर्धारण के पांच गुना के बराबर शास्ति भुगतान करने का दायी होगा.

उपधारा (4) उपधारा (3) के अधीन पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध अपील स्थाई समिति को होगी.

* * * * * * * * * * * * *

धारा 127-ए **संपत्ति कर का अधिरोपण**

उपधारा (1) इस अधिनियमिति में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 127 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के अधीन कर ऐसी दर पर जो कि वार्षिक भाड़ा मूल्य के छः प्रतिशत से कम तथा दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, प्रभारित उदग्रहीत तथा संदत्त किया जायेगा, जैसा कि परिषद् द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अवधारित किया जाए.

उपधारा (2) खण्ड (बी) (बी) भवन तथा भूमियां जिनका वार्षिक भाड़ा मूल्य छः हजार रुपये ऐसे नगरपालिका क्षेत्र की दशा में जिसकी जनसंख्या एक लाख या उससे अधिक हो तथा "चार हजार आठ सौ रुपये" ऐसे नगरपालिका क्षेत्र की दशा में, जिसकी जनसंख्या एक लाख से कम हो से अधिक न हो:

परंतु यदि कोई ऐसा भवन या भूमि किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में हो जो उसी नगर पालिका में किसी अन्य भवन या भूमि या स्वामित्व रखता हो, तो इस खण्ड के प्रायोजनों के लिए उस नगर पालिका में उसके स्वामित्व के समस्त भवनों या भूमियों का संकलित वार्षिक भाड़ा मूल्य ऐसे भवन या भूमि का वार्षिक भाड़ा मूल्य समझा जायेगा:

खण्ड (सी) (सी) भवन तथा भूमियां या उनके भाग जो अनन्य रूपेण शैक्षिक प्रयोजनों के लिए, जिनके अंतर्गत पाठशालायें, भोजनावास, छात्रावास तथा पुस्तकालय आते हैं, उपयोग में लाये जाते हैं, यदि ऐसे भवन तथा भूमियां या उनके भाग या तो संबंधित शैक्षिक संस्थाओं स्वामित्व में हो या शैक्षिक संस्थाओं के अधिकार में किसी भाड़े के भुगतान के बिना रखे गये हों;

खण्ड (एफ) (एफ) भवन तथा भूमियां जो विधवाओं या अवयस्कों या ऐसे व्यक्तियों के जो कि ऐसी शारीरिक निःशक्तता या मानसिक दौर्बल्य के अध्यधीन हो, जिनके कारण वे अपनी आजीविका उपार्जित करने में असमर्थ हो, स्वामित्व की हो, जहां कि ऐसी विधवाओं या अवयस्कों या व्यक्तियों के भरण-पोषण का प्रमुख स्रोत ऐसे भवनों तथा भूमियों से व्युत्पन्न भाड़ा हो:

परंतु ऐसी छूट ऐसे भवनों तथा भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य के केवल प्रथम बारह हजार रुपये से संबंधित होगी.

खण्ड (एच) (एच) भवन तथा भूमियां जो दृष्टिहीन व्यक्तियों, परित्यक्ता महिलाओं और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के स्वामित्व की हो, इस संबंध में पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करने पर तथा यदि ऐसे भवनों तथा भूमियों से प्राप्त होने वाला भाटक उनके भरण-पोषण का मुख्य स्रोत है;

खण्ड (जे) (जे) छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल द्वारा लगाये गये बिजली के खंबे;

उपधारा (2) (2) उपधारा (1) के अधीन उदग्रहीत किया गया संपत्ति कर निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में उदग्रहणीय नहीं होगा, अर्थात्

(ए) भवन तथा भूमियां; जो
(एक) संघ सरकार;
(दो) राज्य सरकार;
(तीन) परिषद्;
के स्वामित्व की हो या उनमें निहित हो;

(बी) भवन तथा भूमियां जिनका वार्षिक भाड़ा मूल्य छः हजार रुपये ऐसे नगरपालिका क्षेत्र की दशा में जिसकी जनसंख्या एक लाख या उससे अधिक हो तथा "चार हजार आठ सौ रुपये" ऐसे नगरपालिका क्षेत्र की दशा में जिसकी जनसंख्या एक लाख से कम हों से अधिक न हो:

परन्तु यदि कोई ऐसा भवन या भूमि किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में हो जो उसी नगर पालिका में किसी अन्य भवन या भूमि या स्वामित्व रखता हो, तो इस खण्ड के प्रायोजनों के लिए उस नगर पालिका में उसके स्वामित्व के समस्त भवनों या भूमियों का संकलित वार्षिक भाड़ा मूल्य ऐसे भवन या भूमि का वार्षिक भाड़ा मूल्य समझा जायेगा:

(सी) भवन तथा भूमियां या उनके भाग जो अनन्य रूपेण शैक्षिक प्रयोजनों के लिये, जिनके अंतर्गत पाठशालाएं, भोजनावास, छात्रावास तथा पुस्तकालय आते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, यदि ऐसे भवन तथा भूमियां या उनके भाग या तो संबंधित शैक्षिक संस्थाओं के स्वामित्व में हो या ऐसी शैक्षिक संस्थाओं के अधिकार में किसी भाड़े के भुगतान के बिना रखे गये हों;

(डी) सार्वजनिक उपवन और खेल के मैदान जो जनता के लिए खुले हो और उनसे संलग्न भवन तथा भूमि यदि उनसे व्युत्पन्न भाड़ा अनन्यरूपेण उन उपवनों तथा खेल के मैदानों के प्रशासन के लिए व्यय किया जाता हो जिनसे कि वे संलग्न हो;

(ई) भवन तथा भूमियां या उनके भाग जो अनन्यरूपेण सार्वजनिक उपासना या सार्वजनिक खैरात, जैसे मस्जिदें, मंदिर, गिरजाघर, धर्मशालाएं, गुरुद्वारे, चिकित्सालय, औषधालय, अनाथालय, दरिद्रशालाएं, पीने का पानी के स्रोत, पशुओं के उपचार तथा देखरेख के लिए, रूग्णावास तथा सार्वजनिक कब्रिस्तान या मृतकों की अंतिम क्रिया के अन्य स्थान, के लिए उपयोग में लाये जाते हों:

परंतु निम्नलिखित भवन तथा भूमियां या उनके भाग, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अनन्यरूपेण सार्वजनिक उपासना या सार्वजनिक खैरात के लिए उपयोग में लाए, जाने वाले नहीं समझे जाएंगे, अर्थात् :—

(एक) भवन जिनमें या भूमियां जिन पर कोई व्यापार या कारबार किया जाता हो, जब तक कि ऐसे भवनों या भूमियों से व्युत्पन्न भाड़ा अनन्यरूपेण पूर्वोक्त धार्मिक प्रयोजनों या सार्वजनिक पूर्त संस्थाओं के लिए उपयोजित न किया जाता हो:

(दो) भवन या भूमियां जिनके संबंध में भाड़ा व्युत्पन्न होता हो और ऐसा भाड़ा अनन्यरूपेण पूर्वोक्त धार्मिक प्रयोजनों या सार्वजनिक पूर्त संस्थाओं के लिए उपयोजित किया जाता हो;

(एफ) भवन तथा भूमियां जो विधवाओं या अवयस्कों या ऐसे व्यक्तियों के, जो कि ऐसी शारीरिक नि:शक्ता या मानसिक दौर्बल्य के अध्यधीन हों, जिनके कारण वे अपनी आजीविका उपार्जित करने में असमर्थ हों, स्वामित्व की हों, जहां कि ऐसी विधवाओं या अवयस्कों या व्यक्तियों के भरण-पोषण का प्रमुख स्रोत ऐसे भवनों तथा भूमियों के व्युत्पन्न भाड़ा हो:

परंतु ऐसी छूट ऐसे भवनों या भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य के केवल प्रथम (बारह हजार) रुपये से संबंधित होगी.

(जी) भवन तथा भूमियां, जो स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों, रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा उनकी विधवाओं के उनके जीवनकाल के दौरान स्वामित्व की हों यदि वे आयकर से छूट प्राप्त है:

(एच) भवन तथा भूमियों जो दृष्टिहीन व्यक्तियों, परित्यक्ता महिलाओं और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के स्वामित्व की हो, इस संबंध में पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करने पर तथा यदि ऐसे भवनों तथा भूमियों से प्राप्त होने वाला भाटक उनके भरण-पोषण का मुख्य स्रोत है:

(आई) भवन तथा भूमियों जो स्वामी के निवास हेतु उसके दखल में हो, पचास प्रतिशत की सीमा तक संपत्ति कर से छूट प्राप्त होगी:

(जे) छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल द्वारा लगाएं गये बिजली के खंबे.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 127-ए संपत्ति कर का अधिरोपण

(1) इस अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 127 की उपधारा (1) के खंड (एक) के अधीन कर ऐसी दर पर जो कि वार्षिक भाड़ा मूल्य के छ: प्रतिशत से कम तथा दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, प्रभारित उद्ग्रहीत तथा संदत्त जायेगा, जैसा कि परिषद् द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अवधारित किया जाए.

परंतु यह कि यदि परिषद् 31 मार्च तक संपत्ति कर अवधारित करने में चूक करती है, तो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान विद्यमान दर, चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी दर समझी जायेगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत किया गया संपत्ति कर निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में उद्ग्रहणीय नहीं होगा, अर्थात्

(ए) भवन तथा भूमियां; जो,

(एक) संघ सरकार;

(दो) राज्य सरकार;

(तीन) परिषद्;

के स्वामित्व की हो या उनमें निहित हो;

(बी) भवन तथा भूमियां जिनका वार्षिक भाड़ा मूल्य छ: हजार रुपये ऐसे नगरपालिका क्षेत्र की दशा में जिसकी जनसंख्या एक लाख या उससे अधिक हो तथा "चार हजार आठ सौ रुपये" ऐसे नगरपालिका क्षेत्र की दशा में जिसकी जनसंख्या एक लाख से कम हों से अधिक न हो:

परंतु यदि कोई ऐसा भवन या भूमि किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में हो जो उसी नगर पालिका में किसी अन्य भवन या भूमि या स्वामित्व रखता हो, तो इस खण्ड के प्रायोजनों के लिए उस नगर पालिका में उसके स्वामित्व के समस्त भवनों या भूमियों का संकलित वार्षिक भाड़ा मूल्य ऐसे भवन या भूमि का वार्षिक भाड़ा मूल्य समझा जायेगा:

(सी) भवन तथा भूमियां या उनके भाग जो अनन्यरूपेण शैक्षिक प्रयोजनों के लिये, जिनके अंतर्गत पाठशालाएं, भोजनावास, छात्रावास तथा पुस्तकालय आते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, यदि ऐसे भवन तथा भूमियां या उनके भाग या तो संबंधित शैक्षिक संस्थाओं के स्वामित्व में हो या ऐसी शैक्षिक संस्थाओं के अधिकार में किसी भाड़े के भुगतान के बिना रखे गये हों;

(डी) सार्वजनिक उपवन और खेल के मैदान जो जनता के लिए खुले हो और उनसे संलग्न भवन तथा भूमि यदि उनसे व्युत्पन्न भाड़ा अनन्यरूपेण उन उपवनों तथा खेल के मैदानों के प्रशासन के लिए व्यय किया जाता हो जिनसे कि वे संलग्न हो

(ई) भवन तथा भूमियां या उनके भाग जो अनन्यरूपेण सार्वजनिक उपासना या सार्वजनिक खैरात, जैसे मस्जिदें, मंदिर, गिरजाघर, धर्मशालाएं, गुरुद्वारे, चिकित्सालय, औषधालय, अनाथालय, दरिद्रशालाएं, पीने का पानी के स्रोत, पशुओं के उपचार तथा देखरेख के लिए, रूग्णावास तथा सार्वजनिक कब्रिस्तान या मृतकों की अंतिम क्रिया के अन्य स्थान, के लिए उपयोग में लाये जाते हों:

परंतु निम्नलिखित भवन तथा भूमियां या उनके भाग, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अनन्यरूपेण सार्वजनिक उपासना या सार्वजनिक खैरात के लिए उपयोग में लाए जाने वाले नहीं समझे जाएंगे, अर्थात् :—

(एक) भवन जिनमें या भूमियां जिन पर कोई व्यापार या कारबार किया जाता हो, जब तक कि ऐसे भवनों या भूमियों से व्युत्पन्न भाड़ा अनन्यरूपेण पूर्वोक्त धार्मिक प्रयोजनों या सार्वजनिक पूर्त संस्थाओं के लिए उपयोजित न किया जाता हो:

(दो) भवन या भूमियां जिनके संबंध में भाड़ा व्युत्पन्न होता हो और ऐसा भाड़ा अनन्यरूपेण पूर्वोक्त धार्मिक प्रयोजनों या सार्वजनिक पूर्त संस्थाओं के लिए उपयोजित किया जाता हो;

(एफ) भवन तथा भूमियां जो विधवाओं या अवयस्कों या ऐसे व्यक्तियों के, जो कि ऐसी शारीरिक नि:शक्ता या मानसिक दौर्बल्य के अध्यधीन हों, जिनके कारण वे अपनी आजीविका उपार्जित करने में असमर्थ हों, स्वामित्व की हों, जहां कि ऐसी विधवाओं या अवयस्कों या व्यक्तियों के भरण-पोषण का प्रमुख स्रोत ऐसे भवनों तथा भूमियों के व्युत्पन्न भाड़ा हो:

परंतु ऐसी छूट ऐसे भवनों या भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य के केवल प्रथम (बारह हजार) रुपये से संबंधित होगी.

(जी) भवन तथा भूमियां, जो स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों, रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा उनकी विधवाओं के उनके जीवनकाल के दौरान स्वामित्व की हों यदि वे आयकर से छूट प्राप्त है:

(एच) भवन तथा भूमियों जो दृष्टिहीन व्यक्तियों, परित्यक्ता महिलाओं और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के स्वामित्व की हो, इस संबंध में पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करने पर तथा यदि ऐसे भवनों तथा भूमियों से प्राप्त होने वाला भाटक उनके भरण-पोषण का मुख्य स्रोत है:

(आई) भवन तथा भूमियों जो स्वामी के निवास हेतु उसके दखल में हो, पचास प्रतिशत की सीमा तक संपत्ति कर से छूट प्राप्त होगी:

(जे) छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल द्वारा लगाए गये बिजली के खंबे.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 129 **करों तथा फीसों का अधिरोपण**

उपधारा (4) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, धारा 127 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) में वर्णित ऐसे कर को लागू नहीं होगी जो कि धारा 127-ए के अनुसार प्रभारित तथा उदग्रहीत किया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 187-क **अनुज्ञा के बिना भवनों के सन्निर्माण के अपराधों का शमन किया जाना.**

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या बनाई गई उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के प्रतिकूल, भवनों के सन्निर्माण के अपराध का शमन किया जा सकेगा, यदि—

(क) ऐसा सन्निर्माण नियमित भवन पंक्ति को प्रभावित नहीं करता है;

(ख) खुले पार्श्व स्थानों में या विहित फर्श क्षेत्र के अनुपात से अधिक किया गया अप्राधिकृत सन्निर्माण का क्षेत्र जो विहित फर्श क्षेत्र अनुपात से दस प्रतिशत से अधिक नहीं है;

परंतु शमन शुल्क, उस भवन के अनुज्ञा शुल्क के पंद्रह गुना से कम नहीं होगा किन्तु पचास गुना से अधिक नहीं होगा.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.